प्रेस नोट 28.09.2020

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **आज दिनांक 28.09.2020 को माफिया मुख्तार असांरी अवैध वसूली गैंग के सहयोगी, मऊ में चिन्हित वसूली माफिया सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ** का अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति 26 लाख रूपये कीमती एक इनोवा क्रिस्टा कार को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त की गयी।

संम्पत्ति विवरण–

1. एक इनोवा क्रिस्टा कार यूपी 54 एके 5004 (26लाख)।

साथ ही साथ दिनांक 01–09–20 को उक्त सुरेश सिंह की अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति 86 लाख रूपया (कुल 04 बसें), दिनांक 03.09.20 को 01 करोड़ 05 लाख 40 हजार रुपए कीमती 09 वाहनों व दिनांक 07.09.20 को 01 करोड़ 69 लाख 65 हजार रुपये कीमती 10 वाहनों व दिनांक दिनांक 08.09.20 को 68 लाख कीमती दो ट्रकों को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त किया गया है।

इस तरह अब तक कुल 04 करोड़ 54 लाख 95 हजार रुपये कीमती कुल 26 विभिन्न प्रकार के वाहनों को जब्त किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह वसूली गैंग डी–34 का सदस्य है तथा जनपद में वसूली माफिया के रूप में चिन्हित है। जिसके विरूद्ध थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.20 को मु0अ0सं0 520/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी तथा वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।

05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा रोडवेज मधुबन से मु0अ0सं0 361/20 धारा 419,420,467,468,470,471 भादवि0 में वांछित अभियुक्त डिम्पल पत्नी मनोज, रमेश पुत्र राजदेव निवासीगण धर्मपुर विसूनपुर जरलहवा थाना मधुबन तथा मु0अ0सं0 624/20 धारा 307 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मिथिलेश पुत्र गोपालजी, गोपलजी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासीगण दरगाह थाना मधुबन, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 738/20 धारा 363,366,376 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अमन सिंह पुत्र रामसिंह निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार–

दिनांक 27.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा बम्हौर के पास से गुड्डू कुमार उर्फ बलवन्त निवासी बालकिसुन राम निवासी काझा थाना रानीपुर मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **घोसी** पुलिस द्वारा रविन्द्र यादव निवासी जमुआरी थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा प्रेमचन्द्र निवासी नगवा, अजय निवासी अलीनगर, कुलदीप निवासी जमुनीपुर थाना हलधरपुर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा ओमप्रकाश निवासी हसनपुर, संतोष निवासी सरफोरा थाना मधुबन, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा रामकुवर, दीलीप निवासी खानपुर मठिया, योगेन्द, वीरेन्द्र निवासी रैकवारीडीह, अमर, प्रेमप्रकाश निवासी डुमराव, प्रमोद निवासी नसीरपुर, राजन, रमेश निवासी बढुआ गोदाम थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 28.09.2020 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा डायल–112 के फ्रेसर कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किये 26 आरक्षियों (10 म0आ0 तथा 16 आ0) को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि डायल–112 के फ्रेस कोर्स हेतु मऊ पुलिस लाइन में 20 दिवसीय फ्रेसर प्रशिक्षण कोर्स कराया गया था। जिसमें महिन्द्रा डिफेन्स सर्विस लिमिटेड कम्पनी द्वारा तकनीकी तकनीकी कौशल जिसमें एमडीटी संचालित करने के बारे में, संचार कौशल, महिला बच्चों व वरिष्ट नागरिक, बौद्धिक अशक्त व्यक्तियों सम्बन्धित, यातायात प्रबन्धनख आपदा प्रबन्धन, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार कानुनी प्रावधान तनाव प्रबन्धन एवं वयस्क मनोविज्ञान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया।